# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 194/2019

1. सुरेन्द्र दत्तक पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।

:- वादी

**ब नाम**

1. कुरडाराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
2. सुमित्रा पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
3. भतेरी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
4. बालादेवी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा। हाल निवासी डिंग मण्डी जिला सिरसा।
5. मीरादेवी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
6. पूजादेवी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
7. मेनका पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
8. आईसीआईसीआई शाखा 12 एमएसआर भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री धर्मपाल बेरवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 475 के खसरा सं0 599 की 5.629है0, खसरा सं00 656 की 6.135है0, खसरा सं0 657 की 4.289है0 कुल 16.053है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम के नाम 877 हिस्सा बारानी खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी कुरडाराम के बजाए वादी व प्रतिवादी सं0 5 मीरादेवी का संयुक्त रूप से 4/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 बालादेवी को 3/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 6 व 7 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वादभूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है व प्रतिवादी सं0 2 व 3 अपना हक व हिस्सा उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। व रोही मोजा कलाना के खाता सं0 476 के खसरा सं0 114 की 2.353है0, खसरा सं0 630 की 5.882है0 कुल 8.235है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम के नाम से 93 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले कुरडाराम के बजाए वादी व प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातदेार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 7 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वादभूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.07.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



Scanned with CamScanner

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 194/2019

1. सुरेन्द्र दत्तक पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. कुरडाराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
2. सुमित्रा पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
3. भतेरी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
4. बालादेवी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा। हाल निवासी डिंग मण्डी जिला सिरसा।
5. मीरादेवी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
6. पूजादेवी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
7. मेनका पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
8. आईसीआईसीआई शाखा 12 एमएसआर भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री धर्मपाल बेरवाल: प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 27.07.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 475 के खसरा सं0 599 की 5.629है0, खसरा सं00 656 की 6.135है0, खसरा सं0 657 की 4.289है0 कुल 16.053है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम के नाम 877 हिस्सा व रोही मोजा कलाना के खाता सं0 476 के खसरा सं0 114 की 2.353है0, खसरा सं0 630 की 5.882है0 कुल 8.235है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम के नाम से 93 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा पतराम की खातेदारी हुआ करती थी। पतराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान



Scanned with CamScanner

पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 8 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडव्ल्यु 1 सुरेन्द्र दत्तक पुत्र कुरडारम के वयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमावंदी रोही कलाना संवत 2074–77 खाता सं0 475 व 476 प्रदर्श 1 व 2 जमावंदी रोही कलाना सवंत 2019 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, मूल गोदनामा प्रदर्श 5 व चित्रप्रति गोदनामा प्रदर्श 5ए प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही उतरादाबास के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कलाना संवत 2074–77 खाता सं0 475 व 476 प्रदर्श 1 व 2 जमाबंदी रोही कलाना सवंत 2019 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, मूल गोदनामा प्रदर्श 5 व चित्रप्रति गोदनामा प्रदर्श 5ए प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 4 वारिस प्रमाण के अनुसार कुरडाराम के एक दत्तक पुत्र सुरेन्द्र, व छः पुत्री सुमित्रा, भतेरी, बालादेवी, मीरादेवी, पूजादेवी व मेनका तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 3 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । वादभूमि के खाता सं0 475/430 में प्रतिवादी सं0 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। व प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वादभूमि के खाता सं0 475 में वादी व प्रतिवादी सं0 5 संयुक्त रूप से 4/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 का 3/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार होंगे। व खाता सं0 476/440 में प्रतिवादी सं0 2 ता 7 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वादभूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि के खाता सं0 476/440 में वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार होंगे। इस प्रकार.वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

**कियात्मक आदेश**

अत : वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 475 के खसरा सं0 599 की 5.629है0, खसरा सं00 656 की 6.135है0, खसरा सं0 657 की 4.289है0 कुल 16.053है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम के नाम 877 हिस्सा बारानी खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी कुरडाराम के बजाए वादी व प्रतिवादी सं0 5 मीरादेवी का संयुक्त रूप से 4/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 बालादेवी को 3/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 6 व 7 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वादभूमि में से वादी व

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा



Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है व प्रतिवादी सं0 2 व 3 अपना हक व हिस्सा उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। व रोही मोजा कलाना के खाता सं0 476 के खसरा सं0 114 की 2.353है0, खसरा सं0 630 की 5.882है0 कुल 8.235है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम के नाम से 93 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले कुरडाराम के बजाए वादी व प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातदेार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 7 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वादभूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.21...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner